





सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर के मुख्य आयुक्त का कार्यालय, विशाखापट्टणम क्षेत्र प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र,

Customs & Central Tax, Visakhapatnam Zone 1st Floor, GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam - 530035

Office of the Chief Commissioner,

विशाखापहणम - 530035 | (P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942

ccu-cexvzg@nic.in

स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं.28/2023 (निरीक्षक) <u>Establishment Order (N.G.O) No. 28/2023 (Inspectors)</u> <u>दिनांक 04 आगस्त 2023 Dated 04th Aug 2023</u>

प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप, निरीक्षक केन्द्रीय कर के संवर्ग में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, निम्न तैनाती के आदेश दिए जाते हैं ।

Consequent upon repatriation from deputation, the following postings in the cadre of Inspector of Central Tax are ordered with immediate effect and until further orders:-

संक्र S1 No.	अधिकारी का नाम (श्रीमती / श्री) Name of the Officer (Smt / Shri)	वर्तमान कार्य स्थल Present Place of Posting	तैनात किया गया आयुक्तालय Commissionerate Posted to
1.	विनीला रोंगलि Vineela Rongali	प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन पर On repatriation from deputation	तिरुपति सी जी एस टी Tirupati CGST
2.	अन्तर सिंह Antar Singh	प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन पर On repatriation from deputation	गुंटूर सी जी एस टी Guntur CGST

- 2. अपने नए तैनाती स्थान पर कार्यग्रहण करने के लिए पूर्वाहन 02.08.2023 को मु.आ.का (वि क्षे) में कार्यग्रहण करने वाले सं. क्र. 1 पर उल्लेखित अधिकारी को दिनांक 04.08.2023 के अपराहन में कार्यमुक्त किया जाता है। Officer at Sl No. 1 above, who has reported to CCO (VZ) in the forenoon of 02.08.2023, stands relieved in the afternoon of today i.e 04.08.2023 to enable her report at her new place of posting.
- 3. सं. क्र. 2 पर उल्लेखित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है की वे अपने स्वीकृत छुट्टी के समाप्ती पर अपने नए तैनाती स्थान पर कार्यग्रहण करें। Officer at Sl No. 2 above, is directed to report directly at his new place of posting on expiry of sanctioned leave.
- 4. संबंधित दस्तावेजों में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाए । Necessary entries may be made in relevant records.
- 5. किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। In case of any ambiguity English version will prevail.
- 6. यह मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, विशाखापट्टणम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
 This issues with the approval of Chief Commissioner of Customs and Central Tax,
 Visakhapatnam Zone.

(एम श्रीकान्त / M Sreekanth)

अपर आयुक्त / Additional Commissioner

[Issued from file GCCO/II/(13)/18/2020-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM]

सेवा में / To

संबंधित व्यक्तियों को। / The Individuals

प्रतिलिपि:

- 1. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय कर, गुंदूर सीजीएसटी/ तिरुपति सीजीएसटी / हैदराबाद (संनिप्रा) आयुक्तालय।
- 2. प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क चेन्नई-। (हवाई अड्डा) आयुक्तालय।
- 3. उप निदेशक, डीजीजीआई जयपूर क्षेत्रीय इकाई।

- 4. मु.ले. अधिकारी/ आ.सं.अ गुंटूर सीजीएसटी/ तिरुपति सीजीएसटी आयुक्तालय ।
- 5. वे एवं ले. अधिकारी, गुंदूर / तिरुपति सीजीएसटी।
- 6. सूचना पट्ट / वेबसाइट / स्टॉक फाइल Copy to:
- 1. The Principal Commissioner / Commissioner of Central Tax, Guntur CGST / Tirupati CGST / Hyderabad (CCA).
- The Principal Commissioner of Customs, Chennai-I (Airport) Commissionerate.
 The Deputy Director, DGGI Jaipur Zonal Unit.
- 4. CAO/DDO of Guntur CGST / Tirupati CGST.
- 5. PAO Guntur / Tirupati
- 6. Notice Board/website/Stock file.